

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1973
IN THE COURT OF J.M.F.C. Gohad DIST. RAJENDRA P.

के गृह
सांख्यिक नजिस्ट्रार एम्पायर्स ऑफ रिपोर्ट मास्टर

५२ ग/४३

1. જોરદિ કી. માવતેના ધર્મ 37 33 માક
16 મગવાઈ

आपने दिनांक 22/09/17 को समय लगभग 1:00 बजे, स्थान
गोलबदा रोड अलगत थागा कोड़ड़ में वाहन के चलाया और
इस प्रकार आपने ऐसा कृत्य किया है जो कि मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 129/177
के तहत दण्डनीय अपराध है और इस
न्यायालय के संज्ञान में आता है।

क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिष्ठा चाहते हो।

The plea of the accused and his examination

अपराध स्वच्छता स्वीकार है।

Gum

Judicial Magistrate First Class
Gohad dist. Bhind (M.P.)

The offence proved, if any and in case under clause (d) clause (f) clause (g) of sub section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

// निर्णय //

(आज दिनांक 22/06/17 को घोषित)

01. आरोपी को स्वेच्छिक संस्वीकृति के आधार पर उसे मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 129/177 के तहत

दण्डनीय अपराध का दोषी पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

02. दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया। आरोपी के विरुद्ध अभिलेख पर कोई पूर्व दोषसिद्धि अभिलिखित नहीं है। अतः आरोपी की संस्वीकृति एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये आरोपी जिलाधीन कावेयें चाम

को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 129/177 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए क्रमशः राशि रुपये 5000/- कुल 100/- रु० (.....) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

03. अर्थदण्ड संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को 10 दिवस की अवधि के साधारण कारावास से भुगताया जावे।

04. जप्तबुदा सम्पत्ति वाहन को MP 30 MN 449 को उसके पंजीकृत स्वामी को लौटाया जाये।

मेरे निर्देशन पर टंकित

Judicial Magistrate First Class
Golkunda, Bhind (M.P.)